

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई 2005 — आषाढ़ 20, शक 1927

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-132/18/2004. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 48-ख तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 सहपठित धारा 72-ख में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियां तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम 2005” है.
- (2) ये नियम राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)।
- (ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिक निगम की दशा में निगम तथा यथास्थिति, किसी नगरपालिका परिषद् की दशा में।
- (ग) "मोहल्ला समिति" से अभिप्रेत है, उक्त नियमों के नियम-4 के अधीन गठित मोहल्ला समिति।
- (घ) "नगरपालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन तथा नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत की दशा में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र।
- (ङ) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत।
- (च) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।
- (छ) "प्रादेशिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है, परिषद् द्वारा अवधारित किसी मोहल्ला समिति का प्रादेशिक क्षेत्र।
- (ज) "अध्यक्ष, जिला योजना समिति" से अभिप्रेत है, मंत्री-परिषद् का वह सदस्य, जिसे जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हो।

3. मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र का निर्धारण : प्रत्येक नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों का प्रत्येक वार्ड मोहल्ला समिति का प्रादेशिक क्षेत्र कहलाएगा तथा ऐसे प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिए एक मोहल्ला समिति का गठन किया जाएगा।

4. मोहल्ला समिति का गठन :

(1) प्रत्येक मोहल्ला समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी :

(क) मोहल्ला समिति, वार्ड का निर्वाचित पार्षद तथा वार्ड में निवासरत नामांकित पार्षद।

(ख) प्रत्येक निकाय में निर्मांकित संख्या में सदस्य, संबंधित वार्ड में निवासरत व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किए जाएंगे :-

क्र.	निकाय का विवरण	समिति की संख्या	सदस्यों की संख्या
1.	नगरपालिक निगम	प्रत्येक वार्ड में एक	10
2.	नगरपालिका परिषद्	प्रत्येक वार्ड में एक	7
3.	नगर पंचायत	प्रत्येक वार्ड में एक	5

(2) नाम निर्देशन के लिए व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन का अनुमोदन, निम्नानुसार अर्हताओं की पूर्ति के साथ किया जावेगा :-

कुल नाम निर्देशित सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं प्रादेशिक क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठन में से होंगे।

(3) मोहल्ला समिति के सदस्य केवल ऐसे व्यक्तियों में से ही नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो संबंधित मोहल्ले के निवासी हैं तथा पार्षद निर्वाचन हेतु पात्र हों।

- (4) मोहल्ला समिति का अध्यक्ष, वार्ड का निर्वाचित पार्षद होगा.
 - (5) उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो संबंधित मोहल्ले के निवासी हैं तथा पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र हों. उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारित होगा.
 - (6) नगरपालिका निगम की स्थिति में महापौर एवं नगरपालिका परिषद् की स्थिति में अध्यक्ष, गाँवत मोहल्ला समिति के संरक्षक होंगे.
5. मोहल्ला समिति की अवधि : प्रत्येक मोहल्ला समिति की अवधि, परिषद् की अवधि की सह-विस्तारी होगी.
6. मोहल्ला समिति की शक्तियां तथा कृत्य : प्रत्येक मोहल्ला समिति की शक्तियां तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे :-
- (1) नगरपालिका या राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा सौंपी गई शक्तियां तथा कृत्य,
 - (2) मोहल्ले विकास से संबंधित प्रस्तावों या स्कीमों को तैयार करना,
 - (3) नगरपालिका द्वारा अवधारित की गई प्रक्रिया के अध्यक्षीन रहते हुए मोहल्ले के किसी विकास कार्य के लिए, मोहल्ले के निवासियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा ऐसी निधि से विकास कार्य निष्पादित करना,
 - (4) विकास कार्य में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना,
 - (5) नगरीय निकाय की संपत्ति यथा पार्क, खुली भूमि तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के रख-रखाव व सुरक्षा में सहयोग करना,
 - (6) कर/फीस के निर्धारण तथा उनकी वसूली आदि से संबंधित उन कृत्यों का निर्वहन करना, जो नगरीय निकाय द्वारा सौंपी जावे.
7. मोहल्ला समिति की आय के स्रोत : मोहल्ला समिति की आय के स्रोत निम्नानुसार होंगे :
- (क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिका से प्राप्त निधि.
 - (ख) मोहल्ले के विकास के लिए, मोहल्ले के निवासियों से प्राप्त अभिदाय.
 - (ग) अन्य किसी स्रोत से प्राप्त राशि.
8. राशि की प्राप्ति तथा उसका प्रत्याहरण :
- (1) प्रत्येक मोहल्ला समिति का एक बैंक खाता होगा, जो ऐसे बैंक में खोला जावेगा, जैसा नगरपालिका द्वारा विहित किया जावे.
 - (2) नियम (7) के अधीन मोहल्ला समिति को जो भी राशि प्राप्त हो, वह उपनियम (1) के अधीन खोले गए बैंक खाते में तत्काल जमा की जावेगी.
 - (3) मोहल्ला समिति के अनुमोदन के पश्चात् मोहल्ला समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से, बैंक के माध्यम से बैंक खाते में से राशि निकाली जावेगी.
 - (4) आय/व्यय हेतु एक रोकड़ पंजी संधारित होगी तथा समिति के खाते अंकेक्षण, ऐसी संस्था द्वारा किया जावेगा, जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्देशित किया जावे.
9. मोहल्ला समिति के कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया :
- (1) प्रत्येक मोहल्ला समिति का एक कार्यालय होगा और उसमें एक सचिव होगा. सचिव की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की जाएगी.

- (2) मोहल्ला समिति की बैठक की तारीख तथा समय उसके अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाएगा तथा ऐसी बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जाएगी। बैठक बुलाने की सूचना सचिव द्वारा मोहल्ला समिति के अध्यक्ष तथा समस्त सदस्यों को, कम से कम तीन दिन पूर्व आवश्यक रूप से देनी होगी।
 - (3) मोहल्ला समिति की बैठक में विनिश्चय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में मोहल्ला समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।
 - (4) मोहल्ला समिति की प्रत्येक बैठक में सचिव आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा।
 - (5) बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के आधे से होगी।
 - (6) प्रत्येक मोहल्ला समिति की अपनी एक कार्यवृत्त पुस्तक (मिनिट बुक) होगी जिसमें प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम, बैठक में विचार-विमर्श किये गये मामलों के व्यौरे, प्रत्येक मामले में किया गया विनिश्चय, उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने विनिश्चय के पक्ष में मत दिया और उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने विनिश्चय के विरुद्ध मत दिया आदि लेखबद्ध किये जाएंगे।
 - (7) प्रत्येक बैठक में कार्यवाहियों के कार्यवृत्त मोहल्ला समिति के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।
10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : इन नियमों के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई शंका या कठिनाई उद्भूत होने की दशा में उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हरके, विशेष सचिव।

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

क्रमांक एफ. 1-132/18/2004.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-132/18/2004 दिनांक 11-07-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हरके, विशेष सचिव।

Raipur, the 11th July 2005

NOTIFICATION

No. F.1-132/18/2004 :- In exercise of the powers conferred by Section 48-B read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 72-B read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby make the following rules, namely :-

RULES

1. Short Title and Commencement :

- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Nagar Palika Mohalla Samiti (Constitution, Functions, Powers and Procedure for Conduct of Business) Rules, 2005.
- (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :** In these rules, unless the context, otherwise requires :-

- (a) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);
- (b) "Council" means Corporation in case of Municipal Corporation and Council in case of a Municipality or Nagar Panchayat, as the case may be;
- (c) "Mohalla Samiti" means the Mohalla Samiti constituted under Rule 4 of said rules;
- (d) "Municipal Area" means the area notified under Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956, in case of a Municipal Corporation and under Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 in case of a Municipal Council or Nagar Panchayat ;
- (e) "Municipality" means any Municipal Corporation constituted under Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and any Municipal Council or Nagar Panchayat constituted under Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) ;
- (f) "Section" means a Section of the Act ;
- (g) "Territorial Area" means the territorial area of any Mohalla, (Samiti)
- (h) "Chairman District Planning Committee" means such member of Cabinet who is nominated as Chairman of the District Planning Committee under the provision of Clause (a) of sub-section (3) of Section 4 of Jila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995.

3. **Determination of Territorial Area of Mohalla Samiti :** The area of each ward of Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat, shall be territorial area of Mohalla Samiti and for every such territorial area a Mohalla Samiti shall be constituted.

4. **Constitution of Mohalla Samiti -**

(1) Every Mohalla Samiti shall consist of following -

- (a) Mohalla Samiti shall consist of Ward Councillor and the nominated members of the ward.
- (b) for each ward, members shall be nominated from of the people residing therein. Following number of members shall be in each ward :-

No.	Type of ULB	Number of Committees	Number of Members
1.	Municipal Corporation	one in each ward	10
2.	Municipal Council	one in each ward	7
3.	Nagar Panchayat	one in each ward	5

- (2) Names of the persons for nomination, shall be submitted to the District Planning Committee, by the Collector. Approval of the names for nomination, shall be made by the Chairman of the District Planning Committee on the basis of following conditions,

Out of total number of nominated members, at least half of the members shall be from Women, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes and Non-Government organisation residing in its territorial area.

- (3) Members shall be nominated from the people who are resident of that territorial area and are eligible for council election.
- (4) The elected councillor of the ward shall be the President of the mohalla samiti.
- (5) The Vice-President and Treasurer shall be nominated by the Chairman of the District Planning Committee from amongst such persons who are resident of the Mohalla concerned and are eligible for election as Councillor. The term of office of the Vice President and Treasurer shall be co-terminus with the term of President.
- (6) Mayor in the case of Municipal Corporation and President in the case of Municipal Council and Nagar Panchayat shall be care-taker of the Mohalla Samiti.
5. **Term of Mohalla Samiti :** The term of each Mohalla Samiti shall be co-terminous with the term of Council.
6. **Powers and functions of the Mohalla Samiti :** The powers and functions of each mohalla Samiti shall be as follows;
- (1) powers and functions assigned by the Municipality or any department of the State Government.
 - (2) To prepare proposal or schemes relating to the development of mohalla,
 - (3) To receive funds from the residents of the mohalla for development work mohalla and carryout the development work subject to the procedures laid by the municipalities.
 - (4) To motivate people for participation in the development works.
 - (5) To protect and maintain property of the Municipality such as park, open land and other public places.
 - (6) To assess and collect tax/fees subject to the procedures determined by the local body and conduct all such business related to it.
7. **Sources of Income of the Mohalla Samiti:** The Sources of Income of the mohalla samiti shall be as follows:-
- (a) funds received from Central Government, State Government or Municipality.
 - (b) funds collected from the resident for the development of Mohalla as donations.
 - (c) funds received from any other sources.
8. **Receipt of the sums and withdrawals :**
- (1) Each Mohalla Samiti shall have Bank Account which shall be opened in such Bank as may be earmarked by the Municipality.
 - (2) Whichever sums received to the Mohalla Samiti under Rule 7 shall immediately be deposited in the Bank Account opened under sub-rule (1).
 - (3) The amount shall be withdrawn from the Bank Account through cheque under the joint signatures of the President and Secretary of the Mohalla Samiti after the approval of Mohalla Samiti.

- (4) An account book shall be maintained for the purpose of income and expenditure and the accounts shall be audited by such institution which may be determined by the Municipality.

9. Procedure for the conduct of business of Mohalla Samiti :-

- (1) Each Mohalla Samiti shall have a office and a Secretary therein. Arrangement of Secretary shall be made by the Municipality.
- (2) The date and time for the meeting of Mohalla Samiti shall be fixed by its President and such meeting shall necessarily be conveyed at least once in a month. The notice of conveying the meeting shall necessarily be given by Secretary to the President and all the members of the Mohalla Samiti at least three days before.
- (3) In the meeting of the Mohalla Samiti the decision shall be taken by majority of the votes and in case of the equality of votes the President of the Mohalla Samiti shall have the right of casting vote.
- (4) In each meeting of Mohalla Samiti, Secretary shall necessarily be present.
- (5) The quorum for the meeting shall be one half of the total number of members.
- (6) Each Mohalla Samiti shall have its own Minutes Book in which the names of the members present in each meeting the details of the cases discussed in the meeting, the decision taken in each case, the names of the members who voted in favour of decision and the names of members who voted against the decision, etc. shall be recorded.
- (7) Minutes of the proceedings at each meeting shall be signed by the President and Secretary of the Mohalla Samiti.

10. Removal of Difficulties : In case of any doubt or difficulty arise in giving effect to the provisions of these rules the same shall be referred to the State Government on which the decision of the State Government shall be final.

By the order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAI SINGH MHASKEY, Special Secretary.

